

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

### // विविध-आदेश //

(कार्य-विभाजन में संशोधन)

क्रमांक..... 17 /  
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 28/01/2026

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 448/दो-1-1/2000 दिनांक 22.07.2025 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :-

01. सरल क्रमांक 05 के स्तम्भ क्रमांक 02 श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्रमांक 03 "सिविल खण्ड" में एवं स्तम्भ क्र0-4 की कंडिका क्रमांक 02 को संशोधित किया जाकर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

02. "माह जनवरी एवं फरवरी में रुपये एक करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन व विविध प्रकरण।" (तहसील त्योंथर/मउगंज/सिरमौर/हनुमना की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर)

02. सरल क्रमांक 04 के स्तम्भ क्रमांक 02 श्री आशीर्वाद भिलाला तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्रमांक 03 "सिविल खण्ड" में एवं स्तम्भ क्र0-4 की कंडिका क्रमांक 03 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 04 निर्मित करते हुये निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है :-

04. "माह मार्च एवं अप्रैल में रुपये एक करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन व विविध प्रकरण।" (तहसील त्योंथर/मउगंज/सिरमौर/हनुमना की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर)

03. सरल क्रमांक 15 के स्तम्भ क्रमांक 02 श्री आशीष कुमार शुक्ला 13 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्रमांक 03 "सिविल खण्ड" में एवं स्तम्भ क्र0-4 की कंडिका क्रमांक 02 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 03 निर्मित करते हुये निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है :-

03. "माह मई एवं जून में रुपये एक करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन व विविध प्रकरण।" (तहसील त्योंथर/मउगंज/सिरमौर/हनुमना की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर)

04. सरल क्रमांक 16 के स्तम्भ क्रमांक 02 श्री संतोष कुमार तिवारी 14 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्रमांक 03 "सिविल खण्ड" में एवं स्तम्भ क्र0-4 की कंडिका क्रमांक 03 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 04 निर्मित करते हुये निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है :-

04. "माह जुलाई एवं अगस्त में रुपये एक करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन व विविध प्रकरण।" (तहसील त्योंथर/मउगंज/सिरमौर/हनुमना की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर)

05. सरल क्रमांक 17 के स्तम्भ क्रमांक 02 श्री सुधीर सिंह राठौड़ 15 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्रमांक 03 "सिविल खण्ड" में एवं स्तम्भ क्र०-4 की कंडिका क्रमांक 03 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 04 निर्मित करते हुये निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है :-

04. "माह सितम्बर एवं अक्टूबर में रुपये एक करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले समस्त निष्पादन व विविध प्रकरण।" (तहसील त्योंथर/मउगंज/सिरमौर/हनुमना की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर)

05. सरल क्रमांक 18 के स्तम्भ क्रमांक 02 श्री यशपाल सिंह 16 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्रमांक 03 "सिविल खण्ड" में एवं स्तम्भ क्र०-4 की कंडिका क्रमांक 06 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 07 निर्मित करते हुये निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है :-

07. "माह नवम्बर एवं दिसम्बर में रुपये एक करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले समस्त निष्पादन व विविध प्रकरण।" (तहसील त्योंथर/मउगंज/सिरमौर/हनुमना की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर)।  
शेष आदेश यथावत रहेगा।

Sd/-  
(राकेश मोहन प्रधान)

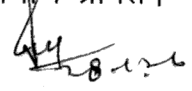
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक 505 /  
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 28/01/2026

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
4. जू०सि०ए०/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा  
की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म०प्र०)